Research Paper E-ISSN NO : 2455-295X | VOLUME : 9 | ISSUE : 5 | MAY 2023

पर्यावरण संरक्षण में राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय प्रयास

निर्मला [1]

[1] शोधार्थी भूगोल विभाग, राजस्थान

ABSTRACT:

KEYWORDS:

पर्यावरण प्रदूषण की रागरया उतनी ही प्राचीन है। जितना की पृथ्वी पर मानव का विकास हुआ है। इसका अनुभव प्लेटो के समय में 2500 वर्ष पहले हो गया था। भारत में पर्यावरण के संरक्षण की प्राचीनता का इतिहास 321 और 300 ई. पूर्व के बीच के समय में खोजा जा सकता है। पर्यावरण संरक्षण की प्राचीन भारतीय विधि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पाई जाती है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति का धर्म प्रकृति का संरक्षण और उसकी पूजा करना है। वृक्ष व नदीयों की पूजा पहले के समय में भी की जाती थी और वर्तमान समय में भी की जा रही है, परन्तु वर्तमान समय में वृक्षों की अंधाधुन कटाई व नदियों को प्रदुषित करते देखा जा रहा है। वन विनास और पेड़ों के काटने के विरुद्ध चेतावनी दी जाती है तथा शासन के नियामानुसार दण्ड के प्रावधान भी रखे जाते है परन्तु उन पर लगाम पाना एक कठिन कार्य के जैसा हैं। 1970 के दशक में अम्लीय वर्षा की समस्या पर ध्यान देते हुये स्वीडेन ने विरोध जताया था कि उसकी बहुतायत झीलें अम्लीय हो गई है। अम्लीय वर्षा से प्रभावित नार्वे स्वीडन कनाडा इंग्लैंड ने अम्ल वर्षों को निर्यातित करने वाले देश यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरीका के विरुद्ध राजनीतिक रूप से आक्रामक रुख अपनाया गया। पर्यावरण समस्या किसी एक व्यक्ति की व एक राष्ट्र की समस्या नहीं है बल्कि ये संपूर्ण राष्ट्र की समस्या है।

नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के जर्नल में एक शोध-पत्र प्रकाशित किया गया है जिसमें जैविक विनाश की चेतावनी दी गई है उस पर पूरी दुनिया में गंभीर बहस और उसे रोकने के प्रयास किये जाने की बात कही गई हैं। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के दो प्रोफेसर पाल, आर इहरिच और रोडोल्फो डिरजों ने यह शोध पत्र तैयार किया है। इन्होंने अपने शोध निष्कर्ष में यह पाया हैं, कि 30 प्रतिशत कशेरूक प्राणी हास की ओर अग्रसर है इनमें स्तनधारी सरीसृप और उभयचर भी शामिल है। उन्होंने स्तनधारी जीवों की आबादी में से 70 प्रतिषत का हास दर्ज किया है। इसी तरह चीते की आबादी सिर्फ 7000 रह गई है और इससे पहले हुये पांच महाविनाश धीमी गति के थे और वे प्रकृति प्रेरित थे। लेकिन छटवा विनाश तीव्र गति का बताया जा रहा है और वह मानव निर्मित बताया जा रहा है।

पर्यावणीयविदों का मानना है कि यदि 30 प्रतिशत लोग बोतल बंद पानी का प्रयोग करते है तो इससे 70 प्रतिशत लोगों को परेशानी का सामना करना पडता है। और कृषि रसायनों ने हमारी मिट्टी पानी हवा सबको प्रदूषित कर दिया है कैंसर, हृदयरोग, लीवर, आंखे, मस्तिस्क, यौन क्षमता तक को प्रभावित करने वाले रसायन इन खाद्यानों में मिल रहे हैं। दिसम्बर 2009 में कोपेनहेग में हुई शिखरवार्ता पूर्ण रूप से असफल हो गई निष्कर्ष सामने आया कि कि चाहे सर्वनाश हो जाये देश इस क्षेत्र में समझौता नहीं करेगा, प्रतिवर्ष अकाल की संभावनाओं में वृद्धि हो रही है। बढ़ता शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, वाहनों से निकलने वाला धुंआ क्लोरों-फलोरों कार्बन का वातावरण में रिसाव आदि ऐसी स्थिति में वे देश जिनकी आबादी ज्यादा है वे अधिक प्रभावित हो रहे है।

पर्यावरण संरक्षण तथा नैरोबी घोषणा पत्र – 1982:-

पर्यावरण संरक्षण के लिए स्टॉकहोम में 1972 में हुए एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की दसवीं वर्षगांठ मनाने के लिए विष्व के 105 राज्य 10 मई से 18 मई 1982 तक नैरोबी में एकत्र हुये और इन राष्ट्रों ने कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पारित किये इनमें से एक प्रस्ताव वर्ष 2000 तथा इसके आगे पोषणीय विकास के लिये दीर्घकालीन पर्यावरण के विकास को प्रस्तावित किया गया। नैरोबी घोषणा पत्र आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वर्ष 1072 में था । अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा मानव विकास के निर्मित कुछ चार्टर भी प्रावधानित किये गये है। 1. पर्यावरण तथा आर्थिक अधिकारों एंव कर्तव्यों का चार्टर 1974 2 पर्यावरण तथा समुद्र विधि पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 1982 3. पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष समिति का अंतिम सत्र 1987 4. प्राकृतिक विनाश पर विश्व सम्मेलन 23-29 मई 19941

राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण अधिनियम 1995:-

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के उपबंधों को अत्यधिक प्रभावशील बनाने की दृष्टि से अधिनियम की धारा 30 की उपधारा-3 प्राधिकरण के गठन के लिये उपबंधित किया गया है। जून 1992 में रियाँ -डी जनेरियों में आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्व के 120 राष्ट्रों का एक सम्मेलन हुआ जिसमें पर्यावरण संरक्षण एंव विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में तीसरी दुनिया के देशों के समृद्ध जैव सम्पदा के संरक्षण के लिए एक समझौता किया। तथा 2005 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 20 प्रतिशत की कटौती करने का भी प्रस्ताव पारित किया गया था। रियो सम्मेलन में यह भी निर्णय लिया गया कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने व उसके संरक्षण में वे राष्ट्र व्यय का अधिकांश भार उठायेगे जो पर्यावरण को क्षति पहुंचाने में सहायक है। रियों सम्मेलन के कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। इस कारण इसे एजेन्डा - 21 नाम दिया गया। और इस सम्मेलन में विश्व के समस्त राष्ट्रों से यह अपेक्षा की गई की वे आर्थिक विकास के वे पहलुओं को अपनाये जिससे की पर्यावरण को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचे। इसलिये राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण अधिनियम 1995 पारित किया गया।

जी 8 शिखर सम्मेलन 2000:- सन् 1998 में एचआईवी और एड्स एक व्यापक रोग है । जिस पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 30.6 मिलियम युवा और बच्चे एचआई व एड्स की बीमारी से पीढ़ीत है। 1990 के दशक में एशिया एड्स की बीमारी से ज्यादा ग्रस्त क्षेत्र माना गया है। थाईलैण्ड इस बीमारी से प्रभावित है। थाईलैण्ड में 1990 के दशक में 3,00,000 मरीज बताये गये है। यह विश्व के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। क्योंकि थाईलैण्ड में पर्यटन उद्योग बहुत बड़ा कारण हैं। अब भी यह बीमारी लाइलाज हैं। और प्रतिवर्ष विश्व के 2.5 मिलियम लोगों को मौत घाट उतारती है और प्रतिवर्ष 6 मिलियन लोगों को संक्रमित कर रहा है। इसी कारण से जी 8 शिखर सम्मेलन सन 2000 का आयोजन जापान में आयोजित किया गया और मुख्य रूप से विकसित देशों ने विकासशील अविकसीत और निर्धन देशों के लिए स्वास्थ्य देख-रेख की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए आष्वासन दिया गया है कि 2010 तक एचआईवी संक्रमित लोगों में 25 प्रतिश्त की कमी करने का लक्ष्य रखा गया था और आगामी दशक में 44 मिलियम बच्चे

एडस रोग के शिकार से अनाथ हो जाने का कारण बताया गया है, जो हमारे लिये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है।

क्योटो प्रोटोकाल (2002-2005):- क्योटो प्रोटोकाल संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में वर्ष 2002 जर्मनी में आयोजित किया गया था इसका उदेश्य ग्रीन हाउस गैसों, विशेषकर कार्बन डाईऑक्साइड की मात्रा को आने वाले 10 वर्षों में 5 प्रतिशत के स्तर से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया था। इसी प्रकार 2005 में भी विश्व पर्यावरण को प्रदुषण से बचाने का एक सार्थक प्रयास किया गया था, रूस की पुष्टि से 1 फरवरी 2005 से यह प्रोट्रोकाल लागू हुआ था। जिसके अंतर्गत इस समझौते के साथ संलग्न सूची में दर्शीत है, विकसीत देशों ने सामूहिक रूप से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 1990 के स्तर पर लाने के लिए वर्ष 2012 तक 5.2 प्रतिशत की कटौती करने का भी लक्ष्य रखा गया था।

अंतर्राष्ट्रीय संधि तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम :- वर्तमान समय में विश्व के सभी राष्ट्र विकसीत व विकासशील पर्यावरण प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक हो रहे हैं। और समाधान करने के लिए अंतराष्ट्रीय स्तर पर प्रयासरत है जैसा कि हाल ही में एक ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वैपन्स परमाणु शस्त्रों पर रोक लगाने संबंधी संधि पर संयुक्त राष्ट्र में अंतिम सत्र के दौरान औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक महासभा के दौरान सितम्बर 2017 में यह कानूनी अधिकार का रूप ले लेगां जैसा कि 1980 में परमाणु अप्रसार संधि हुई थी। जिस पर लगभग सभी देशों ने हस्ताक्षर किए थे ।

प्रमुख अधिनियम

1. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986,
2. वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम-1981
3. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम-1972,
4. जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1974
5. वन संरक्षण अधिनियम-1980,
6. कीटनाशक अधिनियम 1968,
7. जैव-विविधता अधिनियम-2002.

भारत में पर्यावरण संरक्षण हेतु आंदोलनों द्वारा कुछ महत्वपूर्ण प्रयास :-

1 विश्नोई आंदोलन:- यह देश का पहला पर्यावरण आंदोलन था, जो आज से 400 वर्ष पूर्व राजस्थान के सोनवाजी नामक संत द्वारा वृक्षों के काटे जाने के विरोध में आंदोलन बताय गया था। आज भी यहां वृक्षों की पूजा की जाती है, तथा वृक्ष के काटे जाने पर विरोध प्रदर्शन किया जाता है।

2 ग्रीन बेल्ट आंदोलन:- ग्रीन बेल्ट आंदोलन केन्या के नैरोबी में गैर-सरकारी संगठनों के द्वारा चलाया जाने वाला एक आंदोलन है जिसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण, सामुदायिक विकास एवं क्षमता निर्माण पर धान केंद्रित करते हुए विकास के प्रति समग्र दृ ष्टिकोणों को अपनाया गया। इस संगठन की स्थापना 1977 में प्रो वंगारी माथई के द्वारा केन्या की राष्ट्रीय महिला परिषद में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षारोपण वनोन्मूलन के विरुद्ध संघर्ष मृदा अपरदन को रोकना जैसे उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुये महिलाओं में संगठन स्थापित कर आंदोलन में महिला शक्तिकरण पर्यावरण व आर्थिक विकास के मुद्दे को उठाया गया। और महिलाओ को खाद प्रसंस्करण, मधुमक्खी पालन एवं अन्य व्यवसायों हेतु प्रशिक्षित किया गया। ताकि पर्यावरण सुरक्षित रह सके और उन्हें रोजगार के अवसर भी मिल सके।

3 चिपको आंदोलन:- यह आंदोलन बहुत ही चर्चित रहा है। जो कि एक सफल आदोलन के नाम से भी जाना जाता है इस आंदोलन के संबंध में कृषि वैज्ञानिक डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन के शब्दों में पर्यावरण एक प्रत्यक्ष दर्शन एवं एक जीवंत विचार है।

इस आंदोलन का प्रारम्भ 27 मार्च 1973 को चमोली जिले के मंडल ग्राम से प्रारम्भ किया गया था। इस आंदोलन का मुख्य उदेश्य पेड़ों को काटने से बचाया जाना था। तथा जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से 1973 में प्रसिद्ध पर्यावरणीय सुंदरलाल बहुगुण, चंडीप्रसाद भट्ट, श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में चिपको आंदोलन चलाया गया ।

चिपको आंदोलन को कई विकसीत देशों में जैसे फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, स्विजरलैंड आदि देशों के द्वारा सराहा गया। 1972 में स्टाकहोम में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित सम्मेलन में इस आंदोलन की प्रकृति के संरक्षण के प्रति दिखाई गई गंभीरता की प्रशंसा की गई ।

4 एप्पिको आंदोलन:- यह कन्नड भाषा का शब्द है। चिपको आंदोलन से प्ररित होकर उत्तरी कर्नाटक में यह आंदोलन पांडूरंग हेगडे के नेतृत्व में पेड़ों और वनों की कटाई के विरोध में अगस्त 1983 में चलाया गया था।

5 नर्मदा बचाओ आंदोलन:- नर्मदा घाटी विष्व की सबसे बड़ी घाटी परियोजनाओं में से एक है। भारत सरकार ने 1987 में इस परियोजना की स्वीकृति दी थी इस योजना के अंतर्गत 30 बड़े बांधों 135 मध्यम तथा 3000 लघु बाघों का निर्माण किया जाना था। परन्तु स्थानीय समुदाय के द्वारा प्रारम्भ से ही इस परियोजना का विरोध कर रहे थे। क्योंकि इसमें भूमि अधिग्रहण जलमग्न होने और आठ से अधिक आदिवासी समुदायों के साथ अन्य लोगों के विस्थापित होने का खतरा बना हुआ था। इस परियोजना से संबंधित नर्मदा सागर (मप्र.) व सरदार सरोवर प्रोजेक्ट गुजरात में कार्य प्रारम्भ होने के साथ इसका विरोध प्रदर्शन भी किया गया। प्रारम्भ में बाबा आम्टे एवं मेघा पाटकर और प्रसिद्ध लेखिका अरूंधती राय भी इस आंदोलन से जुडे इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आदिवासियों एवं गरीब लोगों को इस परियोजना का लाभ कम और अमीर किसानों को ज्यादा मिलेगा। और इसके अतिरिक्त पारिस्थितिकी तंत्र को भी हानि होने का डर बना हुआ है। क्योंकि लगभग 80 लाख पेड़ एक ही बार में काट दिए जाते और साथ ही आस-पास की जलवायु परिवर्तन होने की भी आशंका बनी हुई है। बडी मात्रा में जल भराव व भूमि के लवणीकरण से भूमि कृषि के लिये अनुपयुक्त हो जायेगी व जीव-जन्तुओं के नष्ट होने का भी खतरा बना हुआ है|पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अनुसार वनों की कटाई से 40 हजार करोड़ रूपयों की हानि होगी, अतः यह प्रयास अंतराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकृषित किया गया था ।

6 ग्रेटा थनबर्ग 2018:- ग्रेटा थनबर्ग पर्यावरण व क्लाइमेट चेंट के लिए जानी जाती है। 16 वर्ष की आयु से ही पूरे देश व दूनिया में पर्यावरण बचाने का संदेश दिया और स्वयं द्वारा पेड़-पौधे लगाने का भी कार्य करती है। युवा पीढ़ी इनसे प्रभावित होकर जुड़ रही है।

अंतराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण को संतुलित रखने हेतु निम्न संधियां

(1) आण्विक अस्त्रों के परीक्षणों के निषेध संधि 1963 (2) आण्विक अस्त्रों की अप्रसार संधि 1968, (3) खुले समुद्र पर तेल प्रदूषण से क्षति संबंधी अधिनियम 1969 (4) विश्व की सांस्कृतिक तथा प्राकृ तिक विरासत के संरक्षण से संबंधित अधिनियम 1973 (5) विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग 1975 (6) अंतराष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 1982. (7) आसियान संरक्षण समझौता 1985. (8) ओजोन पर्त संरक्षण वियेना सम्मेलन 22 मार्च 1985. (9) मांट्रियल संधि 16 सितंबर 1987 (10) हेग घोषणा पत्र 16 मार्च 1989 हेग नीदरलैण्ड (11) पृथ्वी सम्मेलन 3 जून 1992 रिओ-दि- जेनेरियों, ब्राजील में इसका उद्देश्य पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र संघ का पृथ्वी सम्मेलन एजेंडा - 21 एवं रियों घोषणा-पत्र (12) विश्व विविधता समझौता 29 दिसंबर 1993 में रियों-डी-जेनेरियों-पृथ्वी सम्मेलन के उद्देश्य व जैव विविधता एवं जैव संपदा के अधिकार पर |(13) जैविक विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सलाह (सार्क, एशियन एंव अन्य क्षेत्रीय देश) बंगलौर, भारत 1994 | (14) संयुक्त राष्ट्र संघ का परीक्षण एंव सत्त विकास पर पृथ्वी सम्मेलन-2002 को जोहान्सबर्ग (द. अफ्रीका) वर्ष 1978 में संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा स्पष्ट किया गया कि "राज्य पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्दवन का प्रयास करेगा और साथ ही वनों एवं वन्य जीव-जन्तुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करेगा। संविधान के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रकृति पर्यावरण की सुरक्षा के साथ वनों, झीलों, नदियों एवं वन्य जीवों के जीवन की सुरक्षा भी निहित है साथ में प्रत्येक व्यक्ति का भी कर्तव्य होगा कि वह सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया का भाव रखे ।"

राष्ट्रीय वन नीति (1952-1988):- भारत सरकार ने 12 मई 1952 को एक राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई जो राष्ट्रीय आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित की गई थी। जिसमें निम्न प्रकार से है । **1.** बाढ़ तथा सूखे का सामना करने के लिये जलाशयों के पानी को सुरक्षित संरक्षण कर भूमि तथा जल संरक्षण के हित में भूमि के कटाव को रोका जाना चाहिए। **2.** चराई छोटी लकड़ी तथा ईंधन की लकड़ी की आपूर्ति में अभिवृद्धि को सुनिश्चित करने की आवश्यता | **3.** संतुलन प्रणाली और अनुपूरक भूमि प्रयोग के विकास की आवश्यकता । **4.** नदी तटों पर कटाव और समुद्री मार्गों पर समुद्री बालु के अनधिकार प्रवेश को रोकने की आवश्यकता। 1952 में स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की गई थी तब से लेकर अब तक कई परिवर्तन देखने को मिल रहे है। वन संरक्षण अधिनियम के तहत आरक्षित वन में किसी को भी कटाई करने या आग जलाने का अधिकार नहीं है, और वनों को किसी भी प्रकार से क्षति पहुंचाता है तो उस स्थिति में दोषी को 6 माह की कैद या 500

रूपये जुर्माना देना होगा।

अंतराष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण संस्थाओं की स्थापना:- 1 अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त संरक्षण प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन 1948, **2** विश्व मौसम विज्ञान संगठन- 1951 मुख्यालय जिनेवा | **3** संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष 1904. **4** विश्व बौद्धिक संपदा संगठन 1967 मुख्यालय जिनेवा, **5** अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ 1969, **6** ग्रीन पीस पर्यावरण संरक्षण संस्था 1971 कनाडा, **7** संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जून 1972 स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण सम्मेलन के समय मुख्यालय नैरोबी (कीनिया) को बनाया गया था। **8** व्यापक परमाणु परीक्षण संधि 19 नवम्बर 1996 मुख्यालय वियेना,

निष्कर्ष:- अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण में ही विश्व मानव समाज का कल्याण निहित हैं। हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुये समाज विकास के लिये पर्यावरण संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर सुझावों का सम्मान व पालन करना चाहिए। जिससे मानव जीवन सुरक्षित बना रह सकता है।

REFERENCES

1. उपाध्याय, जय जयराम पर्यावरण विधि 2016 सेण्ट्रल लॉ एजेन्सी इलाहबाद द्वारा प्रकाशित।
2. गजभिये विनोद, हिरकने अल्का-पर्यावरण संरक्षण: एक चुनौती 2015 ओमेगा पब्लिकेशन्स नई दिल्ली।
3. परांजपे विनय एन-पर्यावरण विधि 2012 सेण्ट्रल लॉ एजेन्सी इलाहबाद द्वारा प्रकाशित।
4. दैनिक भास्कर 10-13 जुलाई 2017 पेज न.10।
5. गांधी संजू, पर्यावरण विकास मासिक पत्रिका मार्च 2015।
6. मिश्रा सूर्यकांत, पर्यावरण विकास मासिक पत्रिका अप्रैल 2015।